CORPORATE OFFICE
Delhi Office
706 Ground Floor Dr. Mukherjee Nagar Near Batra Cinema Delhi – 110009
Noida Office
Basement C-32 Noida Sector-2 Uttar Pradesh 201301

CURRENT AFFAIRS

Yojna IAS
yojnaias.com
योजना है तो सफलता है
website : www.yojnaias.com
Contact No. : +91 8595390705

दिनांक: 5 अप्रैल 2024

वीवीपीएटी बनाम मतों की पुनर्गणना एवं मत – सत्यापन

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर 2 के भारतीय संविधान, शासन और राजव्यवस्था खंड के अंतर्गत 'भारत में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया और चुनाव सुधार' से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के इनपुट भी शामिल हैं।)

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के चुनाव आयोग द्वारा भारत के लोकसभा चुनाव 2024 के विभिन्न चरणों और तारीखों की घोषणा की गई है।
- भारत में होनेवाले लोकसभा आम चुनाव 2024 के विभिन्न चरणों की घोषणा के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में VVPAT पर्चियों का EVM में पड़े वोटों से मिलान करने के संबंध में एक याचिका दायर हुई है।
- भारत के उच्चतम न्यायलय के न्यायमूर्ति जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने भारत में चुनाव सुधारों के संबंध में दायर हुई इस याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
- कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भारत के उच्चतम न्यायलय के इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि – **"ईवीएम में जनता का विश्वास बढ़ाने और भारत में होने वाले आम चुनावों में चुनावी प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए 100 प्रतिशत वीवीपैट (VVPAT) का इस्तेमाल होना चाहिए।"**

- वर्तमान समय में भारत में होने वाले आम चुनावों में वोटों के गणना के सत्यापन के लिए 5 रैंडम मतदान केंद्रों की वीवीपैट पेपर पर्चियों का ईवीएम से मिलान किया जाता है।
- भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया है, जिसमें करीब 900 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का उपयोग करके भारत के मतदाता अपना मत डालेंगे और इस चुनावी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

वीवीपीएटी (VVPAT) का परिचय :

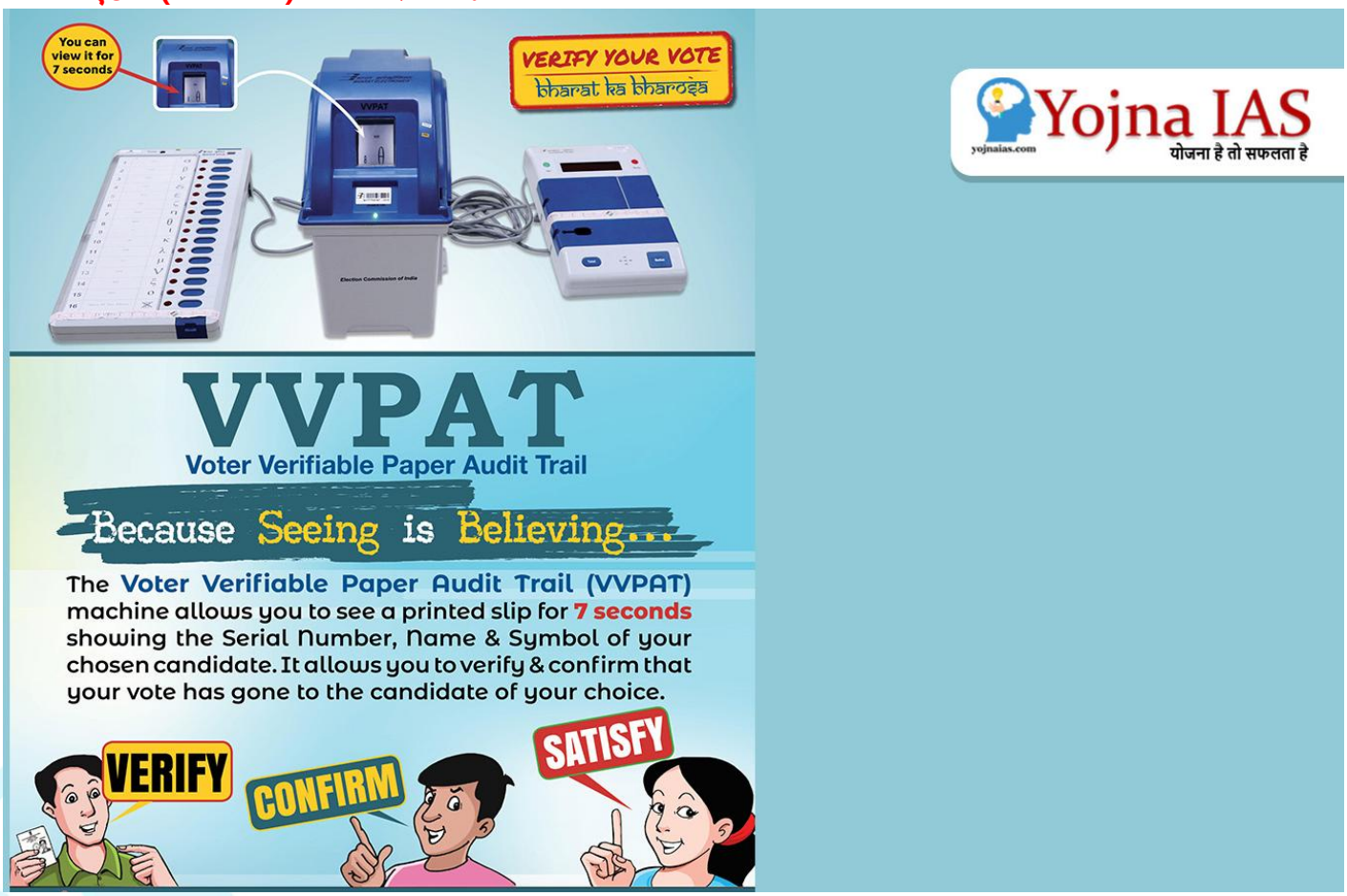

- **वीवीपीएटी (VVPAT) का पूरा नाम –** वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स है, जो चुनाव प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से जुड़ी मशीन होती हैं। जब कोई मतदाता ईवीएम का उपयोग करके वोट डालता है, तो वीवीपैट मतदाता की पसंद को प्रदर्शित करने वाली एक पेपर स्लिप प्रिंट करता है। यह पर्ची कुछ सेकंड के लिए कांच के पीछे दिखाई देती है, जिससे मतदाता इसे बॉक्स में जमा करने से पहले अपनी पसंद को सत्यापित कर सकता है।
- वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मतपत्र रहित मतदान प्रणाली का उपयोग करके मतदाताओं को फीडबैक प्रदान करने की एक विधि है।
- वीवीपीएटी का उद्देश्य वोटिंग मशीनों के लिए एक स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली है, जिसे मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देने के लिए और संभावित चुनाव धोखाधड़ी या खराबी का पता लगाने के लिए, और संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक परिणामों का ऑडिट करने का साधन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि उनका वोट सही ढंग से डाला गया है।
- इसमें उम्मीदवार का नाम (जिसके लिए वोट डाला गया है) और पार्टी / व्यक्तिगत उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह शामिल होता है।

भारत के आम चुनावों में वीवीपीएटी के उपयोग करने की पृष्ठभूमि :

- भारत के आम चुनावों में वीवीपीएटी के उपयोग करने का विचार पहली बार 2010 में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जब कई राजनीतिक दलों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की विश्वसनीयता और सुरक्षा के बारे में चिंता जताई थी। ईसीआई ने विभिन्न राज्यों में वीवीपीएटी मशीनों के कई क्षेत्रीय परीक्षण और प्रदर्शन किए और विभिन्न हितधारकों से इस बारे में प्रतिक्रिया भी मांगी थी।
- वर्ष 2013 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ECI को चरणबद्ध तरीके से VVPAT लागू करने का निर्देश दिया था।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2017 में ECI को भारत में आयोजित होने वाले भविष्य के सभी चुनावों में ईवीएम के साथ VVPAT का उपयोग करने का आदेश दिया था।

भारत के आम चुनावों में वीवीपीएटी का महत्व :

- यह मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देता है कि उनके वोट उनके पसंद के अनुसार ही डाले गए हैं।
- इससे ईवीएम द्वारा वोटों की रिकॉर्डिंग में किसी भी विसंगति या हेरफेर को रोका जाता है।
- यह संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक परिणामों का ऑडिट करने का साधन प्रदान करता है और किसी भी विवाद या संदेह के मामले में वोटों की क्रॉस-चेकिंग को सक्षम बनाता है।
- यह भ्रष्ट या ख़राब वोटिंग मशीनों या कर्मियों द्वारा वोटों को बदलने या नष्ट करने में एक अतिरिक्त बाधा के रूप में कार्य करता है।
- यह भारत में आयोजित होने वाली चुनावी प्रणाली में मतदाताओं के विश्वास को बढ़ाता है और ईवीएम के खिलाफ लगाए गए किसी भी तरह के आरोपों या शिकायतों की गुंजाइश को कम करता है।

वीवीपीएटी की विशेषताएँ :

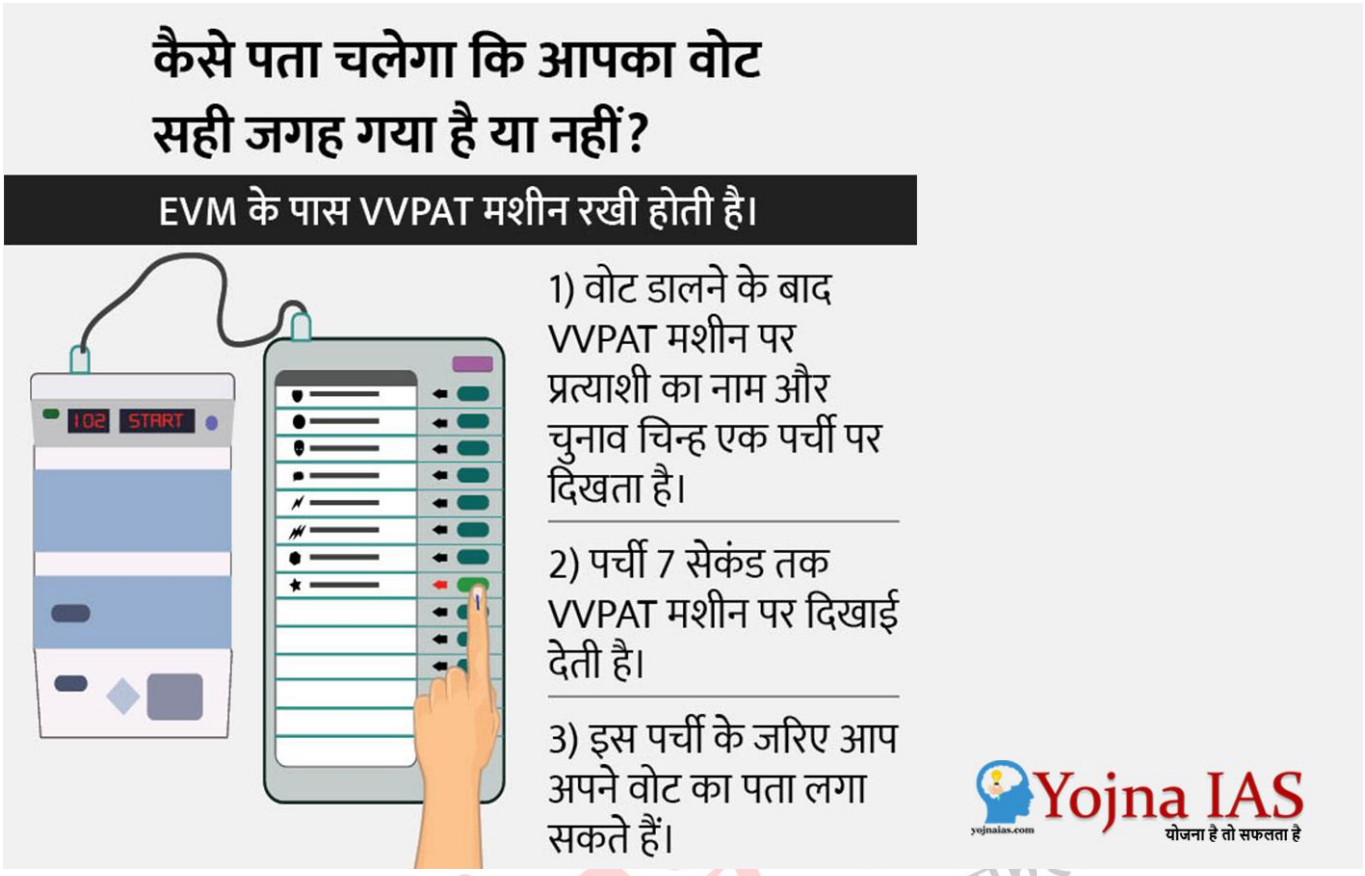

- वीवीपीएटी मशीन ईवीएम से जुड़ा एक प्रिंटर जैसा उपकरण है। जब कोई मतदाता चुने हुए उम्मीदवार के खिलाफ ईवीएम पर बटन दबाता है, तो वीवीपीएटी मशीन उम्मीदवार के क्रम संख्या, नाम और उसके चुनाव चिन्ह के साथ एक पेपर स्लिप प्रिंट करता है।
- वीवीपीएटी मशीन में एक पारदर्शी खिड़की के द्वारा मतदाता को पर्ची सात सेकंड के लिए दिखाई देती है, जिसके बाद यह स्वचालित रूप से कट जाती है और एक सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है।
- वीवीपीएटी को बैटरी की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह पावर पैक बैटरी पर चलता है।
- सामान्य तौर पर एक वीवीपीएटी के वोटों को गिनने में एक घंटे का समय लगता है।
- वीवीपीएटी को पहली बार सितंबर 2013 में नागालैंड के तुएनसांग जिले में नोकसेन विधानसभा सीट के उपचुनाव में किया गया था।
- वीवीपीएटी में एक प्रिंटर और एक वीवीपीएटी स्टेटस डिस्प्ले यूनिट (VSDU) लगा होता है।
- पुनर्गणना या ऑडिट के मामले में यह पर्ची केवल मतदान अधिकारियों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वीवीपीएटी से संबंधित उठाए गए सुधारात्मक कदम :

- ईसीआई ने लगभग 3,000 करोड़ रुपये की लागत से दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) से 16 लाख से अधिक वीवीपीएटी मशीनें खरीदी हैं।
- ईसीआई ने वीवीपीएटी मशीनों के उपयोग और संचालन पर मतदान अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए व्यापक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
- ईसीआई ने निष्पक्षता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी के आवंटन और वितरण के लिए एक यादृच्छिककरण प्रक्रिया शुरू की है।
- ईसीआई ने आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र को ईवीएम वोटों के साथ वीवीपैट पर्चियों की गिनती के लिए यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा।
- ईसीआई ने ईवीएम और वीवीपीएटी परिणामों के बीच किसी भी बेमेल या विसंगति के मामले में वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती के लिए एक तकनीकी प्रोटोकॉल भी विकसित किया है।

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष वीवीपैट से संबंधित चुनौतियाँ :

- वीवीपीएटी में दोषपूर्ण हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर बग, बिजली में उतार-चढ़ाव, पर्यावरणीय स्थिति, मानवीय त्रुटियों या तोड़फोड़ जैसे विभिन्न कारकों के कारण वीवीपीएटी मशीनों में तकनीकी खराबी, खराबी, जाम होने या प्रिंटिंग त्रुटियों का खतरा होता है।
- अकेले ईवीएम की तुलना में वीवीपीएटी मशीनों को अधिक रखरखाव, भंडारण स्थान, सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन लागत की आवश्यकता होती है।
- वीवीपीएटी मशीनें मतदान प्रक्रिया के समय और जटिलता को बढ़ाती हैं, क्योंकि मतदाताओं को मतदान केंद्र छोड़ने से पहले पेपर स्लिप के सामने आने और उसे सत्यापित करने का इंतजार करना पड़ता है।
- मतदाता सत्यापन सुनिश्चित करने में वीवीपीएटी मशीनें पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि कुछ मतदाता पेपर स्लिप को ठीक से जांच या समझ नहीं पाते हैं, या मतदान अधिकारियों को किसी विसंगति या शिकायत की रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं।
- वीवीपीएटी मशीनें चुनाव परिणामों के बारे में सभी विवादों या संदेहों को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती हैं, क्योंकि पेपर पर्चियों की गिनती कुछ मतदान केंद्रों तक ही सीमित है और मानवीय त्रुटियों या हेरफेर के अधीन है।

समाधान / आगे बढ़ने का रास्ता :

- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की अखंडता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए वीवीपीएटी को व्यापक रूप से सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है। हालाँकि, यह कुछ तकनीकी और परिचालन संबंधी चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है जिन्हें सावधानीपूर्वक समाधान करने की आवश्यकता है। भारत में चुनावों में लागू करने से पहले बड़े पैमाने पर वीवीपीएटी प्रणालियों का गहन परीक्षण और मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है।
- भारत में आम चुनावों में इसके उपयोग और सत्यापन के लिए पर्याप्त कानूनी और नियामक ढांचे को सुनिश्चित करना भी अत्यंत आवश्यक है।
- भारत में निर्वाचन आयोग को प्रत्येक राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश के कुछ विधानसभाओं को चुनकर इसे सांख्यिकीय रूप से और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए पुनर्गणना के नमूने में बढ़ोतरी या फिर सिर्फ उन सीटों पर जहां जीत का अंतर बहुत ही कम (मसलन, कुल वोटों का एक फीसदी से भी कम) है, पुनर्गणना के नमूने को बढ़ाकर इस समस्या का समाधान किया सकता है। लेकिन पूर्ण पुनर्मतगणना पर जोर देना अतिशयोक्ति और ईवीएम में भरोसे की स्पष्ट कमी को दर्शाता है।
- भारत में होने वाले चुनावों में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण वीवीपीएटी की पर्चियों के नमूने का सत्यापन ही पर्याप्त होना चाहिए।
- वीवीपीएटी प्रणाली भारत की चुनावी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता , सटीकता, पारदर्शिता और जन विश्वास को बढाता है।
- भारत की चुनावी प्रक्रिया में इसकी चुनौतियों और सीमाओं का समाधान करने के लिए इसमें निरंतर सुधार और नवाचार की भी आवश्यकता है।
- ईसीआई को प्रत्येक चुनाव से पहले और बाद में वीवीपीएटी मशीनों का पर्याप्त परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, अंशांकन और प्रमाणन सुनिश्चित करना चाहिए और किसी भी दोषपूर्ण या दोषपूर्ण मशीनों को तुरंत बदलना या मरम्मत करना चाहिए।
- ईसीआई को वीवीपैट मशीनों के उपयोग और संचालन पर मतदान अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए नियमित प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करना चाहिए और किसी भी प्रश्न या शिकायत का प्रभावी ढंग से समाधान करना चाहिए।
- ईसीआई को ईवीएम वोटों के साथ-साथ वीवीपैट पर्चियों की रैंडम सैंपलिंग और गिनती बढ़ानी चाहिए और इस उद्देश्य के लिए मतदान केंद्रों के चयन के लिए वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीका अपनाना चाहिए।
- ईसीआई को ईवीएम और वीवीपीएटी परिणामों के बीच किसी भी बेमेल या विसंगति के मामले में वीवीपैट पर्चियों की गिनती के लिए एक मजबूत और सुरक्षित प्रोटोकॉल विकसित करना चाहिए और प्रक्रिया का उचित दस्तावेजीकरण और सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए।
- भारत में निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए ईसीआई को अन्य तकनीकी समाधान या एंड-टू-एंड सत्यापन योग्य वोटिंग सिस्टम, ब्लॉकचेन-आधारित वोटिंग सिस्टम या ऑप्टिकल स्कैनर के साथ पेपर – आधारित वोटिंग जैसे विकल्प भी तलाशने चाहिए जो भारत में होने वाले आम चुनावों में वीवीपीएटी प्रणाली को प्रतिस्थापित कर सकें।

स्त्रोत – द हिंदू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में चुनाव सुधार की दिशा में वीवीपीएटी पर्चियों के पुनर्गणना से मत – सत्यापन की मांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत के आम चुनावों में वीवीपीएटी के उपयोग को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा पहली बार 2010 में प्रस्तावित किया गया था।
2. यह चुनाव में होने वाले किसी भी प्रकार के कदाचार को रोकता है।
3. भारत में वीवीपीएटी मशीन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) द्वारा बनाया गया है ।
4. इससे चुनाव में मतों से संबंधित किसी भी विवाद या संदेह के मामले में वोटों की क्रॉस-चेकिंग की जा सकती है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 2, 3 और 4
B. केवल 1, 2 और 3
C. केवल 1, 3 और 4
D. इनमें से सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की मुख्य चुनौतियाँ को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि वीवीपीएटी पर्चियों के पुनर्गणना से मत – सत्यापन की मांग भारत में चुनावी पारदर्शिता, निष्पक्षता और सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाने में किस तरह सहायक है ?

Akhilesh kumar shrivastav

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com